

सेवा में,  
जन सूचना अधिकारी  
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय  
भारत सरकार, नई दिल्ली

PTI COLL  
(1) Received on 21/11/11  
Case No. 21289  
(2) Postal Order No. 96E 768137  
10

विषय:-सूचना के अधिकार अधिनियम:-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सन्दर्भ में आवेदन पत्र।

महोदय,

प्रार्थी को सिगनल एवं टेलीकाम विभाग के सम्बन्ध में निम्न सूचना प्रदान करने की कृपा करें:-

- सिगनल विभाग के विद्युत् सिगनल अनुरक्षक का ड्यूटी रोस्टर या कार्य करने की अवधि क्या है?
- एच0ओ0ई0आर0 के किस नियम के तहत ई0एस0एम0 का ड्यूटी रोस्टर है?
- सेफ्टी मीटिंग के सन्दर्भ में क्या नियम है?
- लीवर युनिट से क्या तात्पर्य है?
- प्वाइंट मशीन, ट्रैक सर्किट, सिगनल युनिट, आई0पी0एस0, रिले, बैट्री, सिगनल केबिल, डाटा लागर, टोकनलेस पैनल, विद्युत लीवर लाक इत्यादि पर कितने लीवर युनिट कार्य है?
- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2007/Sig/Non Gaz/1/Norms के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

संलग्न - पोस्टल आर्डर

Rs-1000

96E 768137

दिनांक - 30.11.11

D. M. P.

प्रार्थी

लक्ष्मी रानी

नाम- लक्ष्मी रानी

पता-C/O-श्री ईश्वर शरण

श्रीवास्तव

43, लोहिया नगर

आशापुर, सारनाथ

वाराणसी-221007

(उत्तर प्रदेश)